

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 33/2018

तारीख रजु:-31.8.2018

गिरधर पुत्र रामधन जाति ब्राहमण निवासी जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली

## बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 2.08.2018 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार  
तहसील नादौती मु0नं0 11/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गिरधर  
धारा 91 एल.आर.एक्ट

## निर्णय

दिनांक 15.4.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अपील तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 2.8.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि मातहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट की बिना जॉच पडताल किये ही निर्णय पारित किया गया है पत्रावली मे किसी प्रकार की साक्ष्य आदि नहीं है। खसरा नम्बर 146 पर कोई अतिक्रमण किया गया है ना ही काश्त की है। ना ही कोई सुनवाई की गई है। बिना सुनवाई के ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का के बयानो मे किसी प्रकार की जिरह नहीं कराई गई है। मौके पर जॉच करने पर अतिक्रमण पाया गया तो प्रार्थी हटाने को तैयार है इस निर्णय की जानकारी दिनांक 24.8.2018 को पटवारी हल्का द्वारा पनेलिट मांगने पर हुयी। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।


वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये कहा की भूमि पर कब्जा नहीं है पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो छोडने को तैयार हूँ। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का जीरोता ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की

के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज शामिल नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों को पश्चावर्ती अतिचार नहीं माना जा सकता है। जब स्वयं अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपना जबाव पेश किया गया उसमें भूमि पर कब्जा भी नहीं बताया गया जिससे विदित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ती का जबाव पेश होने के बाद विवादित आराजी की जाँच नहीं करवाकर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है जो नियम विरुद्ध है। हम वकील अपीलान्त के कथनों से सहमत हैं।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 2.08.2018 का अपास्त किया जाता है। तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्त को विधिवत सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधिनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
अति० जिला कलक्टर  
करौली